

पं. दीनदयाल उपाध्याय स्मृति स्वास्थ्य विज्ञान एवं आयुष विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़
उपरवारा, अटल नगर, सेक्टर-40, नवा रायपुर, छ.ग. 493661.



विश्वविद्यालय परिसर में नलकूप खनन हेतु निविदा की शर्तें एवं प्रपत्र

पं.दीनदयाल उपाध्याय स्मृति स्वास्थ्य विज्ञान एवं आयुष विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़,
रायपुर

//मैनुअल पद्धति निविदा आमंत्रण सूचना //


कं./D- /NS- /विकास/निसू/2022/5879

रायपुर दिनांक 13/05/2022

विश्वविद्यालय परिसर में लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग में प्रचलित यू.एस.ओ.आर मैनुअल पद्धति निविदा लोक निर्माण विभाग में पंजीकृत ठेकेदारों से सीलबंद निविदा पंजीकृत डाक / स्पीड पोस्ट से कुलसचिव पं.दीनदयाल उपाध्याय स्मृति स्वास्थ्य विज्ञान एवं आयुष विश्वविद्यालय, छत्तीसगढ़ उपरवारा, अटल-नगर, सेक्टर-40, नवा रायपुर छ.ग. 493661 के नाम से दिनांक 25.05.2022 को अपरान्ह 12:00 बजे तक निविदा के साथ निविदा फार्म कीमत रु 1000/- एवं अमानत राशि रूपये 5000.00 का बैंक ड्राफ्ट कुलसचिव, पं.दीनदयाल उपाध्याय स्मृति स्वास्थ्य विज्ञान एवं आयुष विश्वविद्यालय, छत्तीसगढ़ उपरवारा, अटल-नगर, सेक्टर-40, नवा रायपुर के नाम से संलग्न करना अनिवार्य है। नलकूप खनन कार्य का फार्म एवं अन्य शर्तें व नियम विश्वविद्यालय के वेबसाइट www.cghealthuniv.com पर उपलब्ध है, जिसे डाउनलोड किया जा सकता है।

निविदा जमा करने की अंतिम तिथि - दिनांक 25.05.2022 समय: 12:00 बजे तक

निविदा खोलने की तिथि - दिनांक 25.05.2022 समय: अपरान्ह 03:00 बजे



प्र.कुलसचिव

नोट :- निविदाकर्ता निविदा प्रपत्र के प्रत्येक पृष्ठ पर अपने हस्ताक्षर करें।

विश्वविद्यालय परिसर में नलकूप खनन हेतु निविदा की शर्तें एवं प्रपत्र
(मई 2022)

निविदाकर्ता का नाम	—
निविदाकर्ता का पता	—
जीवित पंजीयन	—
पैन कार्ड नं.	—
जीएसटी पंजीयन	—
आई. टी. आर.	—
साल्वेंसी/बैंक गारंटी	—
फार्म शुल्क 1000 /—	—दिनांक.....
धरोहर राशि 5000 /—	—दिनांक.....

1. सशर्त निविदा स्वीकार नहीं की जायेगी।
2. निविदा की सामान्य शर्तें, धरोहर राशि, विस्तृत निविदा विज्ञप्ति, निविदा दस्तावेज व अन्य जानकारी कार्यालयीन अवधि में कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है।
3. निविदा प्रपत्र प्राप्त करने हेतु पात्रता (कार्य समूह क्रं. 01 से 08 तक के लिए) :-
 1. एकीकृत पंजीयन से पंजीकृत ठेकेदार का सक्षम श्रेणी में जीवित पंजीयन प्रमाण-पत्र।
 2. यदि पार्टनरशिप फर्म है तो पार्टनर शीप डील प्रमाण-पत्र।
 3. पैन कार्ड
 4. जी.एस.टी. पंजीयन प्रमाण-पत्र।
 5. वर्ष 2020-21 एवं 2021-22 का आई.टी.आर.।
 6. राजस्व शोध क्षमता प्रमाण-पत्र अथवा साल्वेंसी/बैंक गारंटी- रु. 02.00 लाख से अधिक एवं 05 लाख तक के ठेकों के लिए रु. 0.25 लाख तथा रु. 05.00 लाख से अधिक एवं 25.लाख तक के ठेकों के लिए रु. 03.00 लाख की राजस्व शोध क्षमता प्रमाण-पत्र अथवा बैंक साल्वेंसी अथवा बैंक गारंटी, जो कि 12 माह से अधिक पुरानी न हो।
 7. प्रशिक्षित यंत्री नियुक्त करने संबंधी प्रमाण-पत्र।
 8. विभाग/ संस्था द्वारा ब्लैक लिस्टेड नहीं होने का रु.100 /— के नॉन -ज्युडिशियल स्टॉम्प पेपर पर शपथ-पत्र की मूल प्रति।



4. सं.क्र. 01 से 08 तक इन सभी दस्तावेजों की नोटरी द्वारा सत्यापित प्रतियां जमा करना अनिवार्य होगी। पात्रता परीक्षण उपरांत पात्र होने की दशा में ही निविदा प्रपत्र प्रदान की जावेगी।
5. अमानत राशि :- अमानत राशि कुलसचिव, पं. दीनदयाल उपाध्याय स्मृति स्वास्थ्य विज्ञान एवं आयुष विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़, उपरवारा, अटल नगर, सेक्टर-40, नवा-रायपुर, परिसर के नाम से आई.डी.बी.आई. अथवा अनुसूचित बैंकों के एफ.डी.आर. के रूप में स्वीकार की जावेगी। विवरण निम्नानुसार है :-

क्रं.	कार्य का नाम	नलकूपों की संख्या	अनुमानित लागत (लाख रु.)	निविदा प्रपत्र मूल्य रु.	अमानत राशि रु.	
1	वि.वि. परिसर, में 150 एम.एम. व्यास के नलकूप खनन कार्य	05	3.00	1000.00	5000.00	FDR

6. पंजीकृत डाक/स्पीड पोस्ट द्वारा सीलबंद निविदाएं स्वीकार की जावेगी।
7. लिफाफा 'अ' में अमानत राशि एवं लिफाफा 'ब' में निविदा प्रपत्र देना होगा।
8. लिफाफा 'अ' में अर्थात् अमानत राशि का लिफाफा खोला जायेगा। पर्याप्त अमानत राशि का एफ.डी.आर. संलग्न होने पर ही लिफाफा 'ब' खोला जायेगा, अन्यथा निरस्त कर दिया जायेगा।
9. उपयोग किया गया /आपूर्ति किया गया सामग्री आई.एस.आई. मार्क को होना अनिवार्य है। कार्य से संबंधित सामग्री विश्वविद्यालय सेम्पल से मिलान करने के उपरांत ही उपयोग करना होगा।
10. अतिरिक्त सेवा से संबंधित सामग्रियों की आपूर्ति /कार्य कार्यादेश तिथि को ही अथवा कार्य की प्रकृति अनुसार अधिकतम 03 दिवस में करनी होगी।
11. जो निविदाकार विश्वविद्यालय से निविदा प्रपत्र कय करना चाहते हैं, वे निविदा प्रपत्र हेतु आवेदन की अंतिम तिथि को कण्डिका क्रं.04 एवं 05 अनुसार दस्तावेज मय आवेदन विश्वविद्यालय में जमा कर सकते हैं। पात्र होने की दशा में निविदाकार द्वारा निर्धारित शुल्क जमा करने पर निविदा प्रपत्र जारी करने की अंतिम तिथि को विश्वविद्यालय स्तर से निविदा प्रपत्र जारी की जावेगी।



12. विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित निविदा प्रपत्र 'अ' एवं 'ब' विश्वविद्यालय की वेबसाइट www.cghealthuniv.com में उपलब्ध है। जो निविदाकार विश्वविद्यालय वेबसाइट www.cghealthuniv.com से निविदा प्रपत्र डाउनलोड करना चाहते हैं, उन्हें कंडिका क्रं. 04 एवं 05 अनुसार नोटरी द्वारा सत्यापित दस्तावेजों का पृथक-पृथक सेट प्रत्येक निविदा समूह के लिए पात्रता दस्तावेज कुलसचिव, पं. दीनदयाल उपाध्याय स्मृति स्वास्थ्य विज्ञान एवं आयुष विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़, उपरवारा, अटल नगर, सेक्टर-40, नवा-रायपुर, के नाम से निविदा प्रपत्र के मूल्य के बराबर की डी.डी. को लिफाफा 'अ' एवं लिफाफा 'ब' के बाहर अर्थात् सबसे बाहरी लिफाफा के अंदर रखना होगा। निविदा प्रपत्र के मूल्य के बराबर का डी.डी./ एफ.डी.आर. व पात्रता हेतु प्रस्तुत दस्तावेजों का परीक्षण करने के उपरान्त पात्र होने की दशा में ही कंडिका क्रं. 08 के अनुसार कार्यवाही की जावेगी।
13. जो भी निविदा निर्धारित अंतिम तिथि व समय के पश्चात् प्राप्त होगी, वह नहीं खोली जावेगी तथा वापस लौटा दी जावेगी।
14. अपरिहार्य कारणों से यदि निविदा प्रपत्र प्रदाय अथवा निविदा प्राप्ति की अंतिम तिथि को अवकाश घोषित होता है तो ऐसी स्थिति में निविदा प्राप्ति की अंतिम तिथि आगामी कार्य दिवस को माना जावेगा।
15. कार्य की लागत/मात्रा में कमी अथवा वृद्धि की जा सकती है। जिसके कोई आपत्ति स्वीकार नहीं होगी।
16. सामग्री/कार्य की आवश्यकतानुसार ही कार्यदेश जारी किए जावेंगे।
17. दर समस्त करों सहित प्रस्तुत करना होगा।
18. निर्धारित समयावधि में कार्य पूर्ण नहीं करने पर ठेकेदार के देयक से निविदा/संविदा की शर्तों के अनुसार कटौती की जावेगी/निविदा निरस्त कर अमानत राशि राजसात कर ली जावेगी। पुनः निविदा कर अन्तर की रशि निविदाकर से वसूल की जावेगी।
19. यदि कुलसचिव की राय में कोई भी किया गया काम विकृत/अपूर्ण या कुशल कारीगर के नहीं है या उसमें उपयोग किया गया सामान हीन है तो लिखित में मांग किये जाने पर यह ठेकेदार उसमें तुरंत सुधार करेगा, उसे हटायेगा या उसकी पूरी तरह या अंशतः जैसी भी परिस्थिति हो पुनः निर्माण करेगा जिसके लिए कोई अतिरिक्त भुगतान नहीं किया जावेगा और उसके इस कार्य को कुलसचिव जैसी भी परिस्थिति हो द्वारा निर्धारित समयावधि में पूरा करने से इंकार करने पर या हीन गुणों के समझे गये सामान



को और ठेके शर्तों के विपरीत सामान को कार्य स्थल से निर्धारित समय में हटाने और निष्प्रयोजन वस्तुओं या सामग्री के स्थान पर शीघ्र ही योग्य वस्तु या सामान न जाने पर कुलसचिव द्वारा लिखित मांग किये जाने से 10 दिन से अनाधिक समय में अनुपालन ना करने पर प्राक्कलन की राशि पर एक प्रतिशत की दर से क्षति का भुगतान ठेकेदार को करना होगा।

20. छ.ग. शासन नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग मंत्रालय के आदेश क्रमांक एफ-5/190/18/05/ रायपुर दिनांक 19/01/2021 के अनुसार सफल निविदादाता से अनुबंध के समय अतिरिक्त परफार्मेंस राशि जमा कराई जावेगी, जबकि निविदा के दरों में काफी कमी हो, जैसे निविदादाता को अनुमानित लागत से 10 प्रतिशत से कम निविदा दर होने पर सफल निविदादाता को निविदा दर एवं अनुमानित लागत के 90 प्रतिशत के अंतर की राशि कके समतुल्य परफार्मेंस गारंटी के यूप में राष्ट्रीयकृत बैंक का एफ.डी.आर. पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट एन. एस.सी. जो कि संबंधित निकाय के आयुक्त/आयुक्त के नाम से देय होगा जमा कराना अनिवार्य होगा। उपरोक्त राशि को जमा न कराने की दिशा में निविदा निरस्त कर दी जावेगी।
21. अनुबंध अनुसार नियम एवं शर्तों का पालन करना अनिवार्य होगा।
22. किसी भी निविदा को स्वीकृत/अस्वीकृत/निरस्त करने का अधिकार कुलसचिव, पं. दीनदयाल उपाध्याय स्मृति स्वास्थ्य विज्ञान एवं आयुष विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़, उपरवारा, अटल नगर, सेक्टर-40, नवा-रायपुर, के पास सुरक्षित होगा।
23. किसी भी विवाद की स्थिति में कुलपति पं.दीनदयाल उपाध्याय स्मृति स्वास्थ्य विज्ञान एवं आयुष विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़ का निर्णय सर्व मान्य होगा।

क्रं.	कार्य का विवरण	बोर खनन दर प्रति फीट	मात्रा	राशि
1	नलकूप खनन कार्य			
			जीएसटी %	
			कुलयोग	

हस्ताक्षर

निविदाकर्ता का नाम एवं सील.....

मोबाईल नं.:-

अमानत राशि 5000.00 का डी.डी. नम्बर एवं दिनांक

प्र. कुलसचिव